हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1978

(1978 का अधिनियम संख्यांक 13)

[31 मार्च, 1978]

जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड, विश्वामित्री, वदोदरा के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स लिमिटेड, विश्वामित्री, वदोदरा, ऐसे ट्रैक्टरों के विनिर्माण और वितरण में लगा हुआ है जो जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है ;

और हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड के उपक्रमों का प्रबन्ध ऐसी रीति से किया जा रहा था जो लोकहित के लिए अत्यधिक अहितकर था और जिससे कम्पनी को भारी हानि हुई थी ;

और हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड के उपक्रमों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन ग्रहण कर लिया था ;

और यह आवश्यक है कि जनसाधारण की आवश्कयताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण माल का उत्पादन चालू रखना सुनिश्चित करने के लिए हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड के उपक्रमों का अर्जन कर लिया जाए ;

अत: भारत गणराज्य के उनतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1978 है ।

(2) यह 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से 1 अप्रैल, 1978 अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकृत नियंत्रक" से गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद अभिप्रेत है जिसने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 137(ऊ)/18ए/आई०डी०आर०ए०/73, तारीख 12 मार्च, 1973 के आधार पर कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध ग्रहण कर लिया है ;

(ग) "बैंक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ;

(ii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथापरिभाषित समनुषंगी बैंक ;

(iii) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक ;

(iv) कोई अन्य बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ङ) में यथापरिभाषित कोई अनुसूचित बैंक है ;

(घ) "आयुक्त" से धारा 16 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ङ) "कम्पनी" से हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड अभिप्रेत है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय विश्वामित्री, वदोदरा में है ;

(च) "अभिरक्षक" से कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध ग्रहण करने और चलाने के लिए धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अभिरक्षक अभिप्रेत है ;

(छ) "ग्रहण करने की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकृत नियंत्रक ने कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध ग्रहण किया था ;

(ज) "सरकारी कम्पनी" का वही अर्थ है जो उसका कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में है ;

(झ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ट) "विनिर्दिष्ट तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ;

(ठ) "राज्य सरकार" से गुजरात राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ड) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

कम्पनी के उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण

3. कम्पनी के उपक्रमों का केन्द्रीय सरकार को अन्तरण और उसमें उनका निहित होना—नियत दिन को कम्पनी के उपक्रम और उपक्रमों के सम्बन्ध में कम्पनी के अधिकार, हक और हित इस अधिनियम के आधार पर केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) धारा 3 में निर्दिष्ट कम्पनी के उपक्रमों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके अन्तर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी स्थावर तथा जंगम सम्पत्तियां, जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन, कर्मशालाएं, स्टोर, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर, बैंक अतिशेष, रोकड़ बाकी, हाथ की रोकड़, आरक्षित निधियां, विनिधान तथा बही ऋण और ऐसी सम्पत्ति में या उससे उद्भूत होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में, चाहे भारत में या भारत के बाहर, थे और तत्सम्बन्धी सभी लेखा बहियां, रजिस्टर और अन्य सभी दस्तावेजें हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों और यह समझा जाएगा कि उनके अन्तर्गत धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व और बाध्यताएं भी हैं ।

(2) यथापूर्वोक्त सभी सम्पत्तियां, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, ऐसे निहित होने के बल पर किसी भी न्यास, बाध्यता, बंधक, भार, धारणाधिकार और उसे प्रभावित करने वाले सभी अन्य विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगी और किसी न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी की कोई कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश की बाबत, जो ऐसी सम्पत्ति के उपयोग को किसी भी रीति से निर्बन्धित करता है, यह समझा जाएगा कि वह वापस ले लिया गया है ।

(3) जहां कम्पनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में कोई अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कम्पनी को नियत दिन के पूर्व किसी समय अनुदत्त की गई है वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या गुजरात राज्य सरकार या वह सरकारी कम्पनी, जिसमें कम्पनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में कम्पनी के अधिकार, हक और हित धारा 7 के अधीन निहित हो गए हैं, नियत दिन से ही, ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत में निर्दिष्ट कम्पनी के स्थान पर, ऐसे प्रतिस्थापित हुई समझी जाएगी मानो ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत उसे अनुदत्त की गई हो और ऐसी अनुज्ञप्ति या ऐसी अन्य लिखत में विनिर्दिष्ट उपक्रमों या उनके किसी भाग को उतनी शेष अवधि के लिए धारण करेगी जितनी के लिए कम्पनी ऐसी अनुज्ञप्ति या ऐसी अन्य लिखत के अधीन उपक्रमों या उनके किसी भाग को धारित करती ।

(4) किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, प्रत्येक बन्धकदार और किसी ऐसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा ।

(5) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का बंधकदार या ऐसी किसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकमों में से और धारा 9 के अधीन अवधारित धनों में से भी, बंधक धन या अन्य शोध्य रकमों के पूर्णत: या भागत: संदाय के लिए अपने अधिकारों और हितों के अनुसार, दावा करने का हकदार होगा किन्तु ऐसा कोई बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित किसी ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है ।

(6) यदि नियत दिन को, किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है, कम्पनी के उपक्रमों की बाबत कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, लम्बित है तो कम्पनी के उपक्रमों के अन्तरण या इस अधिनियम की किसी बात के कारण, उसका उपशमन नहीं होगा, वह बन्द नहीं होगी या उस पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं, वहां उस सरकारी कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी या प्रवर्तित की जा सकेगी ।

5. कुछ पूर्व दायित्वों के लिए कम्पनी का दायी होना—(1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में कम्पनी का प्रत्येक दायित्व, जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व से भिन्न है, कम्पनी का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, न कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध या जहां कम्पनी के उपक्रम, धारा 7 के अधीन, किसी सरकारी कम्पनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं, वहां उस सरकारी कम्पनी के विरुद्ध ।

(2) निम्नलिखित के बारे में उद्भूत होने वाला कोई दायित्व, अर्थात् :—

(क) ऐसे उधार (उस पर शोध्य ब्याज सहित) जो प्रबन्ध ग्रहण करने की तारीख को या उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या दोनों ने कम्पनी को दिए हैं ;

(ख) ऐसे उधार जो प्रबन्ध ग्रहण करने की तारीख को या उसके पश्चात् किसी बैंक ने कम्पनी को (उस पर शोध्य ब्याज सहित) दिए हैं [1][किन्तु इनके अन्तर्गत ऐसे उधार, जो ऐसी तारीख को या उसके पश्चात् किसी बैंक ने कम्पनी को दिए हैं, उस सीमा तक नहीं हैं जहां तक कम्पनी ने ऐसे उधारों का उपयोग उन प्रतिभूत उधारों के प्रतिसंदाय के लिए या उन पर ब्याज के संदाय के लिए किया है जो ऐसी तारीख के पूर्व किसी भी समय किसी बैंक ने कम्पनी को दिए हैं] ;

(ग) ऐसे उधार जो प्रबन्ध ग्रहण करने की तारीख को या उसके पश्चात् इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने कम्पनी को (उस पर शोध्य ब्याज सहित) दिए हैं ;

(घ) प्रबन्ध ग्रहण करने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली किसी अवधि से संबंधित कम्पनी के कर्मचारियों की मजदूरी और वेतनों और अन्य शोध्य रकमों से की गई किसी कटौती के कारण कोई शोध्य रकमें ;

(ङ) प्रबन्ध ग्रहण करने की तारीख से ही प्रारम्भ होने वाली किसी अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा उपगत कोई ऐसा ऋण जो खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अन्तर्गत नहीं आता या अनुसूची के प्रवर्ग 1 में विनिर्दिष्ट नहीं है,

नियत दिन से ही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पूर्वोक्त सरकारी कम्पनी का दायित्व हो जाएगा और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पूर्वोक्त सरकारी कम्पनी द्वारा उसका निर्वहन जैसे और जब ऐसी रकम प्रतिसंदेय हो जाए या जैसे और जब ऐसी मजदूरी, वेतन और अन्य शोध्य रकमें देय और संदेय हो जाएं, वैसे और तब किया जाएगा ।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि—

(क) इस धारा में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत कम्पनी का अपने उपक्रमों के संबंध में कोई दायित्व, जिसके अन्तर्गत कम्पनी को दिए गए उधार या अग्रिम धन की बाबत राज्य सरकार द्वारा दी गई किसी प्रत्याभूति से उद्भूत होने वाला कोई दायित्व भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व नहीं है, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं, वहां उस सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ख) कम्पनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकरण का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश, जो नियत दिन के पूर्व उद्भूत हुए किसी ऐसे मामले, दावे या विवाद के बारे में, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में कोई मामला, दावा या विवाद नहीं है, नियत दिन के पश्चात् पारित किया गया है, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं, वहां उस सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध के नियत दिन के पूर्व किए गए उल्लंघन के लिए कम्पनी का कोई दायित्व, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं, वहां उस सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

6. कम्पनी के उपक्रमों का गुजराज राज्य सरकार में निहित होना—(1) धारा 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि कम्पनी के उपक्रम और ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके अधिकार, हक और हित, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, और कम्पनी के ऐसे दायित्व, जो धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट हैं, केन्द्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय या तो अधिसूचना की तारीख को या उसके पूर्व

---

[1] 1980 के अधिनियम सं० 50 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

या बाद की ऐसी तारीख को (जो नियत दिन के पूर्व की तारीख न हो), जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, गुजरात राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित, तथा कम्पनी के धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व, उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो जाते हैं, वहां राज्य सरकार ऐसे निहित होने की तारीख से ऐसे उपक्रमों के संबंध में स्वामी समझी जाएगी और ऐसे उपक्रमों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के समस्त अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से, राज्य सरकार के क्रमश: अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

7. कम्पनी के उपक्रमों के किसी सरकारी कम्पनी में निहित किए जाने का निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) धारा 3, धारा 4 और धारा 6 में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि कोई सरकारी कम्पनी ऐसे निबन्धनों और शर्तों का, जिन्हें अधिरोपित करना वह सरकार ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामन्द है या उसने उनका अनुपालन कर दिया है तो वह अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि कम्पनी के उपक्रम और कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में, उसके अधिकार, हक और हित जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में और तत्पश्चात् धारा 6 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गए हैं, और कम्पनी के ऐसे दायित्व जो धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट हैं, राज्य सरकार में निहित बने रहने के बजाय या तो अधिसूचना की तारीख को या उससे पहले या बाद की ऐसी तारीख को (जो नियत दिन से पूर्व की तारीख न हो), जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित और धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व उपधारा (1) के अधीन सरकारी कम्पनी में निहित हो जाते हैं वहां सरकारी कम्पनी ऐसे निहित होने की तारीख से, ऐसे उपक्रमों के संबंध में स्वामी समझी जाएगी और ऐसे उपक्रमों के संबंध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के समस्त अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से, उस सरकारी कम्पनी के क्रमश: अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

अध्याय 3

रकमों का संदाय

8. रकम का संदाय—ऐसी कम्पनी के उपक्रम और कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित, धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित होने के लिए केन्द्रीय सरकार, कम्पनी को एक सौ पचास लाख रुपए की रकम नकद और अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रीति से देगी ।

9. अतिरिक्त रकम का संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार, कम्पनी को उसके उपक्रमों के प्रबन्ध से उसके वंचित किए जाने के लिए पचास हजार रुपए प्रति वर्ष की दर से संगणित रकम, प्रबन्ध ग्रहण किए जाने की तारीख से प्रारम्भ होकर नियत दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, देगी ।

(2) धारा 8 में निर्दिष्ट रकम और उपधारा (1) के अधीन अवधारित रकम पर, चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, नियत दिन से प्रारम्भ होकर उस तारीख को, जिसको ऐसी रकमों का संदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए दिया जाएगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों के अनुसार अवधारित रकम कम्पनी को उस रकम के अतिरिक्त देगी, जो धारा 8 में विनिर्दिष्ट है ।

अध्याय 4

कम्पनी के उपक्रमों के प्रबन्ध, आदि

10. कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध, आदि—(1) वह राज्य सरकार, जिसमें कम्पनी के उपक्रम और कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित धारा 6 के अधीन निहित हो गए हैं, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने की और ऐसे सभी कार्य करने की हकदार होगी जिन शक्तियों का प्रयोग और जिन कार्यों को करने के लिए वह कम्पनी अपने उपक्रमों के संबंध में प्राधिकृत है ।

(2) कम्पनी के उपक्रमों के, जिनके संबंध में अधिकार, हक और हित धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में और धारा 6 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गए हैं, कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबन्ध,—

(क) जहां राज्य सरकार ने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिया है, वहां उस निदेश में विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी में निहित होगा ; या

(ख) जहां राज्य सरकार ने ऐसा कोई निदेश नहीं दिया है, वहां उपधारा (3) के अधीन नियुक्त एक या अधिक अभिरक्षकों में निहित होगा, और तब इस प्रकार विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी या इस प्रकार नियुक्त अभिरक्षक ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी सभी कार्य करने का हकदार होगा जिन शक्तियों का प्रयोग और जिन कार्यों को करने के लिए कम्पनी अपने उपक्रमों के संबंध में प्राधिकृत है ।

(3) राज्य सरकार एक या अधिक व्यक्तियों को या किसी सरकारी कम्पनी को, कम्पनी के ऐसे उपक्रमों का अभिरक्षक नियुक्त कर सकेगी जिनके संबंध में धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन उसने कोई निदेश नहीं दिया है ।

11. अर्जित सम्पत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा परिदत्त करने का कर्तव्य—(1) कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध धारा 6 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो जाने पर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे या अभिरक्षा में या जिसके नियंत्रण में धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति है, उस सम्पत्ति को राज्य सरकार को तुरन्त परिदत्त करेगा ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में नियत दिन को कम्पनी के ऐसे उपक्रमों से संबंधित, जो धारा 6 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गए हैं और जो कम्पनी के हैं या जो उस दशा में उसके होते यदि कम्पनी के उपक्रम राज्य सरकार में निहित न हुए होते, कोई बहियां, दस्तावेजें या अन्य कागजपत्र हैं, राज्य सरकार को उक्त बहियों, दस्तावेजों या अन्य कागजपत्रों का लेखा-जोखा देने के लिए उत्तरदायी होगा और उन्हें राज्य सरकार को परिदत्त करेगा ।

(3) राज्य सरकार ऐसी सभी सम्पत्तियों का, जो इस अधिनियम के अधीन उस सरकार में निहित हो गई हैं, कब्जा देने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाहियां कर सकेगी या करवा सकेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को उसकी शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह मामले की परिस्थितियों में वांछनीय समझे और राज्य सरकार, यदि वह चाहे तो, केन्द्रीय सरकार को किसी भी समय उस रीति के बारे में, जिसमें कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध उसके द्वारा संचालित किया जाएगा या किसी ऐसे विषय के बारे में जो ऐसे प्रबन्ध के दौरान उद्भूत हो, अनुदेश देने के लिए आवेदन कर सकती है ।

(5) कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध किसी सरकारी कम्पनी या किसी अभिरक्षक में निहित हो जाने पर, उपधारा (1) से (4) तक के उपबन्ध, यथास्थिति, सरकारी कम्पनी या अभिरक्षक को या उनके संबंध में इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए कि राज्य सरकार के प्रति निर्देशों का अर्थ, यथास्थिति, सरकारी कम्पनी या अभिरक्षक के प्रति निर्देश हैं, वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य सरकार को या उसके संबंध में लागू होते हैं ।

12. कम्पनी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेखाओं का दिया जाना—(1) जहां किसी न्यायालय की किसी डिक्री, आदेश या व्यादेश के अनुसरण में या अन्यथा,—

(क) प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्ध ग्रहण की तारीख के पश्चात् और नियत दिन के पूर्व कम्पनी के उपक्रमों के किसी भाग का प्रबन्ध ग्रहण करने से निवारित किया गया था ; और

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी नियत दिन को या उसके पश्चात् कम्पनी के उपक्रमों के किसी भाग का प्रबन्ध ग्रहण करने से निवारित कर दी जाती है,

वहां वह कम्पनी या कोई अन्य व्यक्ति जिसके कब्जे या अभिरक्षा या नियंत्रण में उसका कोई भाग है, नियत दिन से साठ दिन के अन्दर, प्रबन्ध ग्रहण की तारीख को प्रारम्भ होकर उस तारीख को, जिसको ऐसा कोई भाग, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, या सरकारी कम्पनी को सौंपा गया था या सौंपा गया है, समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में निम्नलिखित की बाबत लेखा देगा :—

(i) उक्त अवधि के दौरान अर्जित, उपयोग में लाए गए या विक्रीत उपक्रम की या उनके किसी भाग की आस्तियां और स्टोर ; और

(ii) उक्त अवधि के दौरान उपक्रम या उसके किसी भाग से कम्पनी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्युत्पन्न आय ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखाओं की जांच की जाने पर, किसी आय या अन्य धन के बारे में यह पाया जाता है कि वह उस धारा में निर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे उपक्रमों या उसके किसी भाग से कम्पनी या किसी व्यक्ति को व्युत्पन्न हुआ है या किसी अन्य धन के बारे में यह पाया जाता है कि वह देय है तो ऐसी आय या अन्य धन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा, यथास्थिति, कम्पनी या ऐसे अन्य व्यक्ति से उस रकम में से वसूलीय होगा जो इस अधिनियम के अधीन कम्पनी को देय है और इस मद्दे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी को शोध्य ऋण अप्रतिभूत ऋण होगा ।

(3) यदि उपक्रमों या उनके किसी भाग की बाबत कम्पनी द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर कोई लेखा नहीं दिया जाता है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कम्पनी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया लेखा किन्हीं तात्त्विक विशिष्टि में गलत या मिथ्या है तो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी मामला आयुक्त को निर्देशित कर सकेगी और तब आयुक्त उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे उपक्रम या उनके किसी भाग से उस कम्पनी या ऐसे अन्य व्यक्ति को व्युत्पन्न हुई आय अवधारित करेगा और उक्त आय या अन्य धन कम्पनी या ऐसे अन्य व्यक्ति से, इस अधिनियम के अधीन कम्पनी को संदेय रकम में से, वसूल करने के लिए ऐसे कार्यवाही करेगा मानो इस मद्दे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी को शोध्य ऋण अप्रतिभूत ऋण हो ।

(4) कम्पनी के उपक्रमों या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में कोई बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य विल्लंगम केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी पर आबद्धकर नहीं होगा, यदि ऐसा बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य विल्लंगम उस अवधि के दौरान किसी भी समय सृर्जित किया गया था जब किसी न्यायालय की किसी डिक्री, आदेश या व्यादेश द्वारा या अन्यथा

उपक्रमों या उनके किसी भाग का प्रबन्ध ग्रहण करने से प्राधिकृत नियंत्रक निवारित था और, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी निवारित है ।

13. लेखे—अभिरक्षक कम्पनी के उपक्रमों के लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबन्धों के अनुसार रखेगा ।

अध्याय 5

कम्पनी के कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध

14. कुछ कर्मचारियों के नियोजन का जारी रहना—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी के उपक्रमों में से किसी उपक्रम में नियोजित रहा है, यथास्थिति, नियत दिन से ही, या ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख से, यथास्थिति, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी का जिसमें कम्पनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में कम्पनी के अधिकार, हक और हित इस अधिनियम के अधीन निहित हो गए हैं, कर्मचारी हो जाएगा और यथास्थिति, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी में पेंशन, उपदान और अन्य बातों के बारे में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद या सेवा धारण करेगा जो उसे उस दशा में अनुज्ञेय होते यदि ऐसा निधान न हुआ होता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक, यथास्थिति, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें, यथास्थिति, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर देती ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कम्पनी के किसी उपक्रम में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की सेवाओं का राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी को अन्तरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा कोई न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण ग्रहण नहीं करेगा ।

(3) जहां किसी सेवा संविदा के निबन्धनों के अधीन या अन्यथा, कोई व्यक्ति, जिसकी सेवाएं इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी को अन्तरित हो गई हैं, बकाया वेतन या मजदूरी के लिए या न ली गई किसी छुट्टी के लिए किन्हीं संदायों या अन्य ऐसे किसी संदाय के लिए हकदार है जो उपदान या पेंशन के रूप में संदाय नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे दायित्व की उस सीमा तक के सिवाय जिस तक वह धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, उस कम्पनी के विरुद्ध, जिसके द्वारा ऐसे अन्तरण से ठीक पूर्व वह नियोजित किया गया था, अपना दावा प्रवर्तित कर सकता है किन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध नहीं ।

15. भविष्य निधि और अन्य निधियां—जहां कम्पनी के उपक्रमों में से किसी में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि का धन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी प्राधिकरण में निहित हो गया है वहां ऐसा धन उक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए ऐसे प्राधिकरण में निहित रहेगा ।

अध्याय 6

संदाय आयुक्त

16. संदाय आयुक्त की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 8 और धारा 9 के अधीन कम्पनी को संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे अन्य व्यक्तियों को आयुक्त की सहायता के लिए नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे, और तब आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक को भी, इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो आयुक्त द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से कर सकेगा और उनका वही प्रभाव होगा मानो वे उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्षत: प्रदान की गई हैं, और प्राधिकार के रूप में प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे ।

17. केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार, कम्पनी को संदाय करने के लिए आयुक्त को विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर उतनी रकम नकद देगी जो—

(क) धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकम के बराबर है, और

(ख) धारा 9 के अधीन कम्पनी को संदेय रकम के बराबर है ।

(2) केन्द्रीय सरकार भारत के लोक खाते में आयुक्त के नाम एक निक्षेप खाता खोलेगी और आयुक्त इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त प्रत्येक रकम, उक्त खाते में जमा करेगा और तत्पश्चात् निक्षेप खाते को चलाएगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निक्षेप खाते में जमा रकमों पर प्रोद्भूत होने वाला ब्याज कम्पनी के फायदे के लिए काम आएगा ।

18. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी की कुछ शक्तियां—(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी, नियत दिन के पश्चात् वसूल किया गया ऐसा कोई धन, जो कम्पनी को, उसके उन उपक्रमों के संबंध में शोध्य है, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित हो गए हैं, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करके, विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त करने की हकदार इस बात के होते हुए भी होगी, कि ऐसी वसूली नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि से संबंध रखती है ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी आयुक्त को ऐसे प्रत्येक संदाय के संबंध में दावा कर सकेगी जो नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में कम्पनी के किसी दायित्व का, जो धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व नहीं हैं, निर्वहन करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी ने नियत दिन के पश्चात् किया है और ऐसे प्रत्येक दावे को उन पूर्विकताओं के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी जो उस विषय को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त है जिसके संबंध में ऐसे दायित्व का निर्वहन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी ने किया है ।

(3) इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व के किसी संव्यवहार के संबंध में कम्पनी के ऐसे दायित्व, जिनका विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व निर्वहन नहीं किया गया है, कम्पनी के दायित्व होंगे ।

19. आयुक्त के समक्ष दावों का किया जाना—प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा है, ऐसा दावा विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर आयुक्त के समक्ष करेगा :

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि दावेदार पर्याप्त कारण से तीस दिन की उक्त अवधि के अन्दर दावा करने से निवारित रहा था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के अन्दर दावा ग्रहण कर सकेगा किन्तु उसके पश्चात् नहीं ।

20. दावों की पूर्विकता—अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों से उद्भूत होने वाले दावों को निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(क) प्रवर्ग I को अन्य सभी प्रवर्गों पर अग्रता दी जाएगी और प्रवर्ग II को प्रवर्ग III पर अग्रता दी जाएगी और इसी प्रकार आगे भी ;

(ख) प्रवर्ग III के सिवाय प्रत्येक प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावे समान पंक्ति के होंगे और पूर्णत: संदत्त किए जाएंगे किन्तु यदि रकम ऐसे दावों को पूर्णत: चुकाने के लिए अपर्याप्त है तो वे आनुपातिक रूप में कम कर दिए जाएंगे और तद्नुसार संदत्त किए जाएंगे ;

(ग) प्रवर्ग III में विनिर्दिष्ट दायित्वों का निर्वहन इस धारा में विनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के अधीन रहते हुए प्रतिभूत उधारों के निबन्धनों और ऐसे उधारों की परस्पर अग्रता के अनुसार किया जाएगा ; और

(घ) किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट विषय की बाबत किसी दायित्व के निर्वहन का प्रश्न केवल तब उठेगा जब उसके ठीक उच्चतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट सभी दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अधिशेष रह जाए ।

21. दावों की परीक्षा—(1) आयुक्त, धारा 19 के अधीन किए गए दावों की प्राप्ति पर, उन्हें अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के अनुसार क्रमबद्ध करेगा और उक्त पूर्विकता क्रम से उनकी परीक्षा करेगा ।

(2) यदि दावों की परीक्षा करने पर आयुक्त की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त रकम किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे निम्नतर प्रवर्ग की बाबत दायित्वों की परीक्षा करे ।

22. दावों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना—(1) अनुसूची में उपवर्णित पूर्विकताओं के प्रति निर्देश से दावों की परीक्षा करने के पश्चात् आयुक्त कोई तारीख नियत करेगा जिसको या जिससे पूर्व प्रत्येक दावेदार अपने दावे का सबूत फाइल करेगा जिसके न हो सकने पर उसे आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरण के फायदे से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(2) इस प्रकार नियत की गई तारीख के बारे में कम से कम चौदह दिन की सूचना अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचार-पत्र के एक अंक में और प्रादेशिक भाषा के दैनिक समाचार-पत्र के एक अंक में, जो आयुक्त उपयुक्त समझे, विज्ञापन द्वारा दी जाएगी, और ऐसी प्रत्येक सूचना में दावेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने दावे का सबूत विज्ञापन में निर्दिष्ट समय के अन्दर आयुक्त के समक्ष फाइल करे ।

(3) प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अन्दर अपने दावे का सबूत फाइल करने में असफल रहता है, आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरणों से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(4) आयुक्त, ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात् जो उसकी राय में आवश्यक है और कम्पनी को दावे का खण्डन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदार को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् लिखित रूप में दावे को पूर्णत: या भागत: स्वीकार या अस्वीकार करेगा ।

(5) आयुक्त को, अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्‌भूत होने वाले सभी मामलों में, जिनके अन्तर्गत वह या वे स्थान भी हैं जहां वह अपनी बैठकें करेगा, अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए उसे वे ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक पदार्थ का जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(6) आयुक्त के समक्ष कोई अन्वेषण भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(7) कोई दावेदार, जो आयुक्त के विनिश्चय से असंतुष्ट है, उस विनिश्चय के विरुद्ध अपील आरम्भिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय में कर सकता है, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है :

परन्तु जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, आयुक्त नियुक्त किया जाता है वहां अपील गुजरात उच्च न्यायालय को होगी और वह अपील उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा सुनी और निपटाई जाएगी ।

23. आयुक्त द्वारा दावेदारों को रकम का संवितरण—इस अधिनियम के अधीन दावा स्वीकार करने के पश्चात् ऐसे दावे की बाबत शोध्य रकम आयुक्त ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त करेगा जिसे या जिन्हें ऐसी धनराशियां शोध्य हैं और ऐसा संदाय कर दिए जाने पर ऐसे दावे की बाबत कम्पनी अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएगी ।

24. कम्पनी को रकमों का संवितरण—(1) यदि कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में आयुक्त को संदत्त धन में से, अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाता है तो वह ऐसे अतिशेष का संवितरण कंपनी को करेगा ।

(2) जहां किसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य सम्पत्ति का कब्जा, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित हो गया है किन्तु ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य सम्पत्ति ऐसी कंपनी की नहीं है, वहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य सम्पत्ति को उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर कब्जे में रखे रहे जिनके अधीन वे नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी के कब्जे में थीं ।

25. असंवितरित या दावा न की गई रकम का साधारण राजस्व खाते में जमा किया जाना—आयुक्त को संदत्त कोई धन, जो उस अन्तिम दिन से जिस दिन संवितरण किया गया था, तीन वर्ष की अवधि तक असंवितरित या दावा न किया गया रहता है, आयुक्त द्वारा केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते में अन्तरित किया जाएगा किन्तु इस प्रकार अन्तरित किसी धन के लिए कोई दावा ऐसे संदाय के हकदार व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को किया जा सकता है और उस संबंध में कार्यवाही इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा अन्तरण नहीं किया गया था और दावे के संदाय के लिए किया गया आदेश, यदि कोई हो, राजस्व के प्रतिदाय के लिए किया गया आदेश माना जाएगा ।

26. दायित्व का ग्रहण किया जाना—(1) जहां आयुक्त अनुसूची के प्रवर्ग I, प्रवर्ग II और प्रवर्ग III में विनिर्दिष्ट किसी मद से उद्‌भूत होने वाले कम्पनी के किसी दायित्व का निर्वहन इस अधिनियम के अधीन उसे दी गई रकम में से पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है वहां वह केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में उस दायित्व की सीमा, जिसका निर्वहन नहीं हुआ है, संसूचित करेगा और वह दायित्व केन्द्रीय सरकार ग्रहण कर लेगी ।

(2) कम्पनी के उपक्रमों का इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित हो जाने पर, उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रहण किया गया दायित्व, यथास्थिति, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी का दायित्व होगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

27. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

28. संविदाओं से संबंधित उपबन्ध—(1) प्रबन्ध ग्रहण की तारीख के पूर्व कम्पनी द्वारा अपने उपक्रमों के संबंध में किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए की गई और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक संविदा, नियत दिन से, एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति के

पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगी, जब तक कि ऐसी संविदा का उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, या सरकारी कम्पनी, लिखित रूप में, अनुसमर्थन नहीं कर देती और, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में उसमें ऐसे परिवर्तन या उपान्तर कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।

(2) प्रबन्ध ग्रहण करने की तारीख को या उसके पश्चात् कम्पनी द्वारा या कम्पनी की ओर से प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा अपने उपक्रमों में से किसी के संबंध में किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए की गई और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक संविदा, तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक ऐसी संविदा नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के अन्दर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा पर्यवसित, उपान्तरित या परिवर्तित नहीं कर दी जाती ।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी संविदा को अनुसमर्थित, पर्यवसित उपान्तरित या परिवर्तित करने से इंकार नहीं करेगी जब तक कि—

(क) उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी संविदा असम्यक् रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या कम्पनी के उपक्रमों के लिए अहितकर है ; और

(ख) वह ऐसी संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और संविदा का अनुसमर्थन करने से इंकार करने या संविदा पर्यवसित करने या उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तरण करने के अपने कारण, अभिलिखित नहीं कर देती ।

29. कुछ दशाओं में आस्तियों आदि का अन्तरण शून्य होना—(1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी के पूर्व अनुमोदन के बिना न तो वह कम्पनी और न ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसके कब्जे में उस कम्पनी के ऐसे कोई उपक्रम या उनका कोई भाग है जिनका प्रबन्ध या कब्जा किसी न्यायालय की किसी डिक्री, आदेश या व्यादेश के कारण या अन्यथा प्राधिकृत नियंत्रक या केन्द्रीय सरकार, या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता था, नियत दिन से ही कम्पनी के उपक्रमों की भागरूप किसी सम्पत्ति या अन्य आस्तियों को विक्रय या बन्धक द्वारा या अन्यथा अन्तरित नहीं करेगा और ऐसे पूर्वानुमोदन के बिना ऐसा कोई अन्तरण शून्य और अपरिवर्तनशील होगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

30. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार के या उस सरकार के किसी अधिकारी या अभिरक्षक के या राज्य सरकार के या सरकारी कम्पनी या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी के किसी अधिकारी के या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद, या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार के या उस सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के या राज्य सरकार के या अभिरक्षक के या सरकारी कम्पनी के या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध होगी ।

31. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति—

(क) कंपनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी से सदोष विधारित करेगा ; या

(ख) कंपनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसे सदोष प्रतिधारित करेगा या उपक्रम से संबंधित किसी दस्तावेज को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, जानबूझकर विधारित करेगा अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकार कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा अथवा कम्पनी के उपक्रम से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखा बहियों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी को या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा ; या

(ग) कम्पनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास ऐसा विश्वास करने का उचित कारण है कि वह मिथ्या या बिल्कुल गलत है,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

32. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके

प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकरी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) "फर्म" के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

33. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से भिन्न, सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) जब कभी उपधारा (1) के अधीन शक्ति का कोई प्रत्यायोजन किया जाता है तो वह व्यक्ति, जिसको ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है, केन्द्रीय सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

34. केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय, जिसके अन्दर और वह रीति जिससे धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन आयुक्त को कोई सूचना दी जाएगी ;

(ख) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

35. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

36. राज्य की नीति के संबंध में घोषणा—इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) में उल्लिखित तत्त्वों का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिए है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "राज्य" का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 12 में उसका है ।

अनुसूची

(धाराएं 5, 20, 21, 22, 24 और 26 देखिए)

कम्पनी के दायित्वों के उन्मोचन के लिए पूर्विकता क्रम

भाग क

प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात् की अवधि

प्रवर्ग I

कोई व्यापार या विनिर्माण संक्रियाएं करने के लिए गुजरात कृषि उद्योग निगम द्वारा दिए गए उधार ।

भाग ख

प्रबन्ध ग्रहण के पूर्व की अवधि

प्रवर्ग II

कम्पनी के कर्मचारियों को शोध्य भविष्य निधि, वेतन, मजदूरी और अन्य रकमों के संबंध में बकाया ।

प्रवर्ग III

प्रतिभूत उधार [1][जिनके अन्तर्गत ऐसे उधार, जो प्रबन्ध-ग्रहण की तारीख को या उसके पश्चात् किसी बैंक ने कम्पनी को दिए हैं, उस सीमा तक हैं जहां तक कम्पनी ने ऐसे उधारों का उपयोग उन प्रतिभूत उधारों के प्रतिसंदाय के लिए या उन पर ब्याज के संदाय के लिए किया है जो प्रबन्ध-ग्रहण की तारीख के पूर्व किसी भी समय किसी बैंक ने कम्पनी को दिए हैं ।]

प्रवर्ग IV

केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य विद्युत बोर्ड को शोध्य राजस्व, कर, उपकर, रेट या कोई अन्य रकम ।

प्रवर्ग V

(i) व्यापार या विनिर्माण संक्रियाएं करने के प्रयोजनार्थ कम्पनी द्वारा लिया गया कोई ऋण ।

(ii) कोई अन्य शोध्य रकमें ।

———

[1] 1980 के अधिनियम सं० 50 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।